कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म०प्र०)

:: परिपत्र ::

कमांक क्यू..8 / 2020 भोपाल, दिनांक 27 / 03 / 2020

विषयः–**अर्जेन्ट मामलों में अधिवक्ता / पक्षकारों की उपस्थिति के संबंध में अनुमति बाबत्।**

सन्दर्भः–इस कार्यालय का ज्ञापन क0 क्यू–5, जबलपुर दिनांक 25 / 03 / 2020

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुकम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं किः–

01. अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जिला न्यायाधीश की अनुमति से ही की जानी है और ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाले अधिवक्तागण / पक्षकारों को ही न्यायालय भवन में प्रवेश दिए जाने के संबंध में अनुमति जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल से ईमेल आई.डी dcourtbho@nic.in पर प्राप्त की जा सकेगी, जैसा कि संदर्भित परिपत्र के द्वारा सूचित किया जा चुका है।

02. अनुमति प्राप्त करने वाले अधिवक्ता / पक्षकारों के लिए निम्नानुसार विवरण दिया जाना आवश्यक होगाः–

अ. अधिवक्ता का नाम ....

ब. अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर ....

स. पक्षकार का नाम ....

द. पिता / पति का नाम ....

इ. अर्जेन्ट मामला जिसमें सुनवाई होनी है....................

ई. अपराध कमांक / प्रकरण कमांक....................

उ. न्यायालय का नाम ....

ऊ. उपस्थित होने की दिनांक ....स्थानः–....................

स्पष्ट किया जाता है कि दोपहर 12.00 बजे तक ई–मेल आई.डी. से जिन अधिवक्तागण और पक्षकारों द्वारा अनुमति प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जावेगा, उन्हें उस दिन की अनुमति दिया जाना संभव होगा। जिस दिनांक के लिए अनुमति दी गई है, उसके अलावा किसी अन्य दिनांक को वह अनुमति मान्य नहीं होगी।

sd/-
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल(म०प्र०)

पृष्ठांकन कमांक ..8.... / 2020 भोपाल दिनांक 27 / 03 / 2020

प्रतिलिपिः– 01. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ भोपाल / तहसील अधिवक्ता संघ तहसील बैरसिया जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, भोपाल / बैरसिया की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

03. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग / सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता संघ भोपाल एवं अधिवक्ता संघ बैरसिया भोपाल को ईमेल के माध्यम से सूचित किए जाने एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

04. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग / जिला नाजिर / नायब नाजिर जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल / सिविल न्यायालय बैरसिया जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर / भवन के मुख्य द्वारों पर उक्तानुसार नोटिस भी चस्पा किए जावें।

05. प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

27.3.2020
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल(म०प्र०)

Scanned by CamScanner